भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3509

11.08.2025 को उत्तर के लिए

वन भूमि का परिवर्तन

3509. सुश्री महुआ मोइत्रा:

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हरित पट्टी अथवा वन भूमि के कितने एकड़ क्षेत्रफल के संबंध में गमागमन, उपयोग में परिवर्तन, हरित पट्टी विनिमय, या निजी क्षेत्र द्वारा किसी भी प्रकार की परियोजनाओं के लिए विकास हेतु अनुमति दी गई है; और

(ख) शीर्ष पचास कंपनियों के नाम क्या हैं जिन्हें अनुमति दी गई और उन्हें कितने एकड़ क्षेत्र दिया गया है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) तथा (ख): राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा गैर-वानिकी प्रयोजनों के लिए वन भूमि के उपयोग के लिए विधिवत अनुशंसित प्रस्तावों की, केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन के लिए, वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 और इसके तहत नियम एवं दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार जांच की जाती है।

गैर-वानिकी उद्देश्यों के लिए वन भूमि के उपयोग के प्रस्तावों पर परिवेश ("एक इंटरैक्टिव और वर्चुअल वातावरण में सक्रिय और उत्तरदायी सुविधा के लिए एकल-खिड़की हब") पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन कार्रवाई की जाती है। मांगी गई सूचना मंत्रालय द्वारा नहीं रखी जाती है।

*****